श्री सभापतिः नैक्स्ट क्वैश्चन—122, डा० कुमकुम राय।

डंकन उद्योग का बंद होना

*122. **डा० कुमकुम रायः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर के डंकन उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) एक विवरणपत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर ने उद्योग को बंद करने संबंधी नोटिस की एक प्रति महासचिव, आई ई एल मजदूर यूनियन को दी है और यह समझा जाता है कि यह नोटिस सचिव, उत्तर प्रदेश, श्रम विभाग, लखनऊ को भी दे दिया गया है। बंद करने संबंधी नोटिस की उपर्युक्त प्रति, रसायन और उर्वरक मंत्री को संबोधित आई ई एल मजदूर यूनियन के दिनांक 7.12.2001 के अभ्यावेदन के साथ उर्वरक विभाग में प्राप्त हुई थी।

सरकार ने खपत मानकों का एक यथार्थ स्तर निर्धारित करने की दृष्टि से डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर सहित 13 यूरिया एककों के खपत मानकों को दिनांक 1.4.2000 से अंतरिम आधार पर संशोधित किया है। ये खपत मानक वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुए वास्तविक स्तरों या मौजूदा स्तर जो भी कम हों, पर आधारित हैं। प्रतिधारण मूल्यों में भी तदनुसार अंतरिम संशोधन किया गया है। इस संशोधन से यूरिया एककों से संबंधित प्रतिधारण मूल्यों और परिणामस्वरूप उन यूरिया एककों से वसूली में कमी हुई है। तथापि, ऐसे संशोधन मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है और VII वीं तथा VIII वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति विषयक मानदण्डों पर सरकार के निर्णय के अध्यधीन हैं जिनमें खपत मानक भी शामिल होंगे।

Closure of Duncan Industries

†*122. DR. KUMKUM RAI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Duncan industries at Kanpur are on the verge of closure;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, what measures are being taken for smooth operation of the industries?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Duncans Industries Ltd., Kanpur have served a copy of the closure notice to General Secretary, IEL Mazdoor Union, which the company has supposedly served to Sachiv, Uttar Pradesh, Shram Vibhag, Lucknow. The aforesaid copy of closure notice was received in the Department of Fertilizers along with the representation dated 7.12.2001 by IEL Mazdoor Union addressed to Minister of Chemicals and Fertilizers.

In order to fix the consumption norms at the realistic level, Government has revised the consumption norms of the 13 urea units including Duncans Industries Ltd., Kanpur on an interim basis w.e.f. 1.4.2000. These consumption norms are based on the actual levels achieved in 1999-2000, or the existing level, whichever is lower. The retention prices have also been revised correspondingly, *ad interim*. This revision has led to reduction in retention prices in respect of the urea units and consequently recovery from those urea units. Such revision is, however, only an interim arrangement and is subject to the decision of the Government on the policy parameters for VII and VIII pricing periods which will include consumption norms also.

डा० कुमकुम राय: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उत्तर मुझे मिला है वह

† Original notice of the question was received in Hindi.

बड़ा ही गोल-मटोल है। मैंने साफ शब्दों में पूछा था कि क्या कानपुर में स्थित डंकन्स उद्योग बंद होने के कगार पर है? बंद होने के किसी कारण का इन्होंने खुलासा नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि यह उद्योग मुनाफा दे रहा था और ऊर्जा की खपत से संबंधित सब्सिडी का जो मामला आया, तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि यह काम पिछले दस ग्यारह वर्षों में क्यों नहीं हो सका? सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन संबद्ध मंत्रालय और उनके अधिकारी अपने रुटीन वर्क को करते रहते हैं। इन ग्यारह वर्षों में ऊर्जा की खपत का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया और अचानक आज यह सदन में आ रहा है कि यह उद्योग बंद कर देना चाहिए। तो पहले मैं आपके माध्यम से उन्हीं कारणों का खुलासा जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: चेयरमैन सर, इस सवाल के जवाब में बिल्कुल क्लीअर है कि 1997 से कोई नई प्राइसिंग पालिसी फर्टिलाइज़र की नहीं है, पुरानी ही कांटीन्यू कर रही है, उसकी बिना पर कई यूनिट ऐसे थे जो ज्यादा सब्सिडी ले रहे थे। हमने उनकी कंज्शन की रिअसैसमेंट कराई है। इनमें 13 यूनिट आती हैं, उसमें यह डंकन्स भी है। सभी ने तकरीबन् इस रिअसैसमेंट के पैसे दे दिए, जो उसने ज्यादा लिए थे, ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने इसका अभी फैसला करना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वह कंटेम्ट आफ कोर्ट होगा, मामला सब-ज्यूडिस है। लेकिन यह केवल एक डंकन्स के लिए नहीं है। इसी हाऊस में और लोक सभा में भी ये सवाल उठते रहे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ज्यादा ले रही हैं, उसकी बिना पर हमने रिअसैसमेंट कराई और उसमें करीब 770 करोड़ रुपया रिअसैसमेंट का, जो 13 यूनिट ने ज्यादा ले लिया था, उसकी रिकवरी करने के नोटिस दिए गए हैं, रिकवरी ली गई है। यह बिल्कुल क्लीअर है, इसमें कोई गोल-मटोल बात नहीं है।

डा० कुमकुम राय: सर, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन भारत के किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक मुहैया कराने में यह सरकार विफल रही है, जिसका प्रमाण इस बार का बजट दे चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि यह जो बकाया राशि है, उसको किश्त के माध्यम से देने से, संबद्ध उद्योग के अधिकारियों से बात करने के बाद इस उद्योग को चालू रखने की कोई सूरत आपके पास है या ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास है या नहीं है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, सब्सिडी का जहां तक सवाल है, हम सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं, इंडस्ट्री को भी मिल रही है। इसमें अगर किसी ने ज्यादा ले ली और रिअसैसमेंट पर अगर उससे रिकवरी की गई, वह तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैं हाऊस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा किसी इंडस्ट्री के खिलाफ काम करने का मकसद नहीं है और

सरकार इंडस्ट्री को पूरी सहायता देना चाहती है, देती रही है और आगे भी हम देते रहेंगे। लेकिन जो यह इंटेरिम रिकवरी है, जब नई पॉलिसी आएगी, उसके बाद उसमें इनकी ऐडजस्टमेंट हो सकती है, होगी। इससे ज्यादा मैं इसमें इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यह मामला सब-ज्यूडिस है।

डा॰ कुमकुम राय: सर, कोर्ट का मामला बताकर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विषय 50 सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो कामगार मज़दूर हैं और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के तमाम लोग हैं, उनको अचानक एक दिन किसी एक तुगलकी आदेश से सड़क पर खड़ा कर देना, क्या हमारे देश की इस सरकार की यही नीति है? उन मज़दूरों से या मज़दूरों की यूनियन के साथ क्या कोई समझौता हुआ है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, ये तो आए ही नहीं। यूनियन को उन्होंने जो नोटिस दिया है, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिप्लाई नहीं है, हमें कोई इन्फारमेशन नहीं है, केवल एक कापी हमें भेजी गई है, वह भी यूनियन की तरफ से। ...**(व्यवधान)**...

डा॰ कुमकुम राय: अभी तक तो उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार थी।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगी या नई पॉलिसी आ जाएगी तो उसमें इनकी ऐडजस्टमेंट हो जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Mr. Ram Gopal Yadav.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, actually...

MR. CHAIRMAN: No, no....*(Interruptions)*...Nothing will go on record.

प्रो॰ रामगोपाल यादव: सभापति महोदय, यह जो डंकन कंपनी है, यह पहले इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड के नाम से कानपुर की एक बहुत ही मशहूर यूरिया बनाने वाले कंपनी थी और इसके द्वारा बहुत ही उत्तम कोटि की यूरिया का निर्माण होता था और हमारे यहां तो आई॰ई॰एल॰ की ही यूरिया चलती थी। इस कंपनी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी थी और इसकी मशीनरी भी अच्छी थी। मैं इस कंपनी से इसलिए परिचित हूं क्योंकि बहुत पहले से हमारे कुछ मित्र लोग और उनके बच्चे इसमें नौकरियां करते आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं इटावा गया तो कुछ लड़कों ने मुझ से मिलकर कहा कि हमें नोटिस दे दिया गया है नौकरी से हटाने के लिए।

महोदय, अब सवाल फैक्टरी के बंद होने का है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा

कि अगर यह फैक्टरी बंद होती है तो जो लोग वहां वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को वहां बसा लिया है, जिन्होंने अपने मकान वहां बना लिए हैं, अब वे लोग कहां जाएं? उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि जिससे यह फायदे में चल रही कंपनी चलती रहे और कोई कर्मचारी बेरोजगार न होने पाए?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, जहां तक फैक्टरी बंद होने की बात है, यह किसी एक फैक्टरी के लिए नहीं हो रहा है, यह हमारी ओवरऑल पालिसी के तहत हो रहा है और उसमें ऐसी 13 यूनिट्स हैं। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट थोड़े ही कर रहे हैं कि इस फैक्टरी को कर रहे हैं और दूसरी फैक्ट्रियों को नहीं कर रहे हैं।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस दे दिया है निकालने के लिए, इसका अर्थ है कि फैक्टरी बंद ही करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसमें हस्तक्षेप करें।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अगर आप यह चाहते हैं कि हम किसी एक यूनिट को ज्यादा दे दें ताकि वह लेबर को रखे, यह तो हो नहीं सकता। यह तो एक यूनीफॉर्म पालिसी के तहत हो रहा है। जहां तक लेबर का सवाल है, लेबर के लिए अपने कानून हैं, उन कानूनों के मुताबिक वे काम करेंगे।

श्री जीवन राय: सभापति महोदय, यह सही है कि एक रैकेट बन गया था और कुछ फर्टिलाईज़र कंपनियों को ऐक्सस पेमेंट हो रहा था। बहुत बार यह सवाल सदन में भी उठा और बाहर भी उठा लेकिन यह कई सालों से हो रहा था और कुछ लोगों की मिलीभगत से हो रहा था। आज अगर एकाएक आप वापस ले लेंगे तो पूरी फैक्टरी बंद हो जाएगी। जब यह हुआ तो कई वर्षों तक हुआ और अब इसे रिज़ॉल्व करना है तो नैगोशियेट करके करना है, कंपनी से नैगोशियेट करके करना है, यूनियन से नैगोशियेट करके करना है लेकिन फैक्टरी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसा पैकेज दिया है जिससे कि कंपनी भी बच जाए, आपका रुपया भी वापस आए? वैसे भी यह मामला कोर्ट में है, इसमें आपने कुछ किया है? Sir, the third part of my question is: till today, as per the existing Act, no company can pass a closure order without the consent of the appropriate Government authority. So, I would like to know from the Minister: What is the position of the respective appropriate authority on this matter of closure notice?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, 184 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी थी, इसमें से 127 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं और 56.80 करोड़ रुपए देने बाकी हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि वे इसकी पेमेंट इंस्टालमेंट्स में करेंगे। हमने इसके बारे में हाई कोर्ट को लिख दिया

है। पहले भी रिकवरी के लिए एक कंपनी को हमने इंस्टालमेंट्स की इज़ाज़त दी थी और अब भी हम बकाया रकम के लिए हम इन्हें इंस्टालमेंट्स की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तो हाई कोर्ट ने करना है क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, it is quite evident from the discussion and the reply of the hon. Minister, Shri Dhindsa, that about 13 fertilizer-producing companies have swindled the Government's money, and the benefit of the subsidy has not been given to the poor peasants. So, the leading industrialists—not only by the Duncans—all over the country have deceived the dontrodden population of this country. Now, when the Government has taken some steps to recover the excess subsidy that had been paid to them, they are now transferring the entire load of crisis on another section of the downtrodden people, that is, the workers of this country. So, Sir, the Minister is also accepting that the industrialists of this country are taking the Government for a ride. And they are putting the entire pressure, the entire load of the crisis, on the shoulders of the poor people, either on the peasants or on the workers. I would like to know whether the Ministry of Chemicals and Fertilizers is trying to re-orient their policies, so that these industrialists cannot take advantage of their policies. I would like to have a very clear-cut answer from the Minister, because it is my hunch. I am sorry to say that even after all this, the Government has not learnt any lesson over a period of years. The Government is still hell-bent on giving privileges to the industrialists. I would like to know from the Government whether it is thinking in some other terms or not. *(Interruptions)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, सारी इण्डस्ट्रीज के बारे में अभी कोई जवाब नहीं दे सकता और न यह मेरी परव्यू में है। लेकिन यह अंतरिम रि-एसेसमेंट हमने की है और जो नई पॉलिसी आ रही है वह जल्दी आ जाएगी। उसमें सभी पैरामीटर देखकर नई पॉलिसी में लाया जा रहा है और उसमें से क्या कितना निकलेगा उसके बाद ही मैं बतला सकता हूं।

श्री जीवन राय: एक आश्वासन तो आप दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: फैक्टरी फंक्शन कर रही है, कोई बंद नहीं है।

SHRI JIBON ROY: The factory should not be closed. *(Interruptions)* want that assurance. *(Interruptions)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: जो उन्होंने मांगा ...(व्यवधान)

श्री जीवन राय: जो कुछ ब्यूरोक्रेसी, सरकार और कम्पनी में हुआ आप उसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आप बोल दीजिए कि इस तरह से फैक्टरी बंद नहीं होंगी।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: हाई कोर्ट ने जो जवाब हमसे मांगा है हमने उनको यह कह दिया है कि हम इंस्टालमेंट में ले लेंगे। तो हम बंद कैसे करेंगे, क्यों करेंगे?

श्री जीवन राय: फैक्टरी टेक ओवर कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Question No. 123.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रशासनिक उत्पीड़न

*123. **श्री आर० एन० आर्य[$]:**
श्री डी० पी० यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक उत्पीड़न की शिकायतें सरकार/मंत्रालय संगठन को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जयपुर संभाग सहित ऐसे विद्यालयों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का संभाग-वार, श्रेणी-वार, विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में आरोपियों के विरुद्ध संगठन/सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसका औचित्य क्या है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले में क्या-क्या कदम उठाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

$. सभा में यह प्रश्न श्री आर० एन० आर्य द्वारा पूछा गया।